

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्य वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- प 5(१५) नि.पे.वि./नियम/2011/कड/ 1013-1162 H दिनांक 01-09-2006

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान।

SRO
21-6-12

विषय- दिनांक 01-09-2006 से 31-05-2009 की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की दिनांक को विशेष भत्ता प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन संशोधित करने के सम्बन्ध में।

JOC Adm)

महोदय,

21/6

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 8 के अनुसार तत्समय लागू विशेष वेतन को विशेष भत्ते में परिवर्तित किया गया था। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या प 14(92)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 23-07-2009 द्वारा विशेष भत्तो को दिनांक 01-06-2009 से विशेष वेतन के रूप में पुनः परिवर्तित कर दिया गया है। दिनांक 01-09-2006 से 31-05-2009 की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की दिनांक को विशेष भत्ता प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन संशोधित करने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या प 12(3)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि:

“Those government servants who retired during the period from 01.09.2006 to 31.05.2009 and who were drawing Special Allowance immediately before the date of their retirement the Special Allowance so drawn shall be treated as Special Pay as an exception for determination of emoluments for the purpose of calculation of pension under Rule 45 of Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996. Only pension shall be revised from the date of issue of this order and no arrear of pension shall be payable. It is made clear that revision of DCRG, Commutation of pension and Encashment of balance of leave shall not be permissible.”

उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत पेंशन संशोधन के त्वरित निस्तारण हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व आहरित विशेष भत्ते/विशेष वेतन की प्रविष्टी सेवापुस्तिका में करने के पश्चात संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक प्रकरण में अभिशंषा पेंशन विभाग को प्रेषित करेंगे। पेंशन विभाग संबन्धित विभाग से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर पेंशन संशोधित करेगा।

24/6
22/6

D:\Letter And Note Sheet\Babulal Ji\Letter

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2012/ 11 2

दिनांक: 2/11/2012

प्रतिलिपि

1. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

S.M.

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजा, जयपुर

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश प्रदान करें कि जिन प्रकरणों में वित्त (नियम) विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के आधार पर पेंशन संशोधित की जानी हो, प्रत्येक मामले में संलग्न प्रपत्र में अभिशंषा शीघ्र भिजवाई जायें।

भवदीय

संलग्न-1

निदेशक

क्रमांक:-प 5() नि.पे.वि./नियम

दिनांक.....

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण क्षेत्रिय कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
- 2- समस्त अधिकारीगण कार्यालय हाजा
- 3- समस्त शाखा प्रभारी कार्यालय हाजा

अतिरिक्त निदेशक

प्रपत्र

राजस्थान सरकार
(कार्यालय

क्रमांक:

दिनांक:

अभिशंषा

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12(3)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अन्तर्गत निम्न प्रकरण में दिनांक 11-05-2012 से पेंशन संशोधन की अभिशंषा की जाती है:

1. कर्मचारी का नाम
2. अंतिम पद नाम
3. सेवानिवृत्ति तिथि
4. पेंशन/पा. पेंशन भुगतान आदेश संख्या
5. सेवानिवृत्ति तिथि को आहरित विशेष वेतन
के रूप में मान्य विशेष भत्ते की दर

रु प्रतिमाह

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12(3)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अनुसरण में विशेष भत्ते/विशेष वेतन की प्रविष्टी सेवापुस्तिका में करली गई है जो कि उक्त परिपत्र के अन्तर्गत पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों में सम्मिलित करने योग्य है।

हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्य वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: - प 5(854) नि.पे.वि./नियम/2011/कई/1013-1162 H दिनांक: 01-06-2012

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान।

SPO

21-6-12

विषय- दिनांक 01-09-2006 से 31-05-2009 की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की दिनांक को विशेष भत्ता प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन संशोधित करने के सम्बन्ध में।

JD (Adm)

महोदय,

21/6

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 8 के अनुसार तत्समय लागू विशेष वेतन को विशेष भत्ते में परिवर्तित किया गया था। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या प 14(92)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 23-07-2009 द्वारा विशेष भत्ते को दिनांक 01-06-2009 से विशेष वेतन के रूप में पुनः परिवर्तित कर दिया गया है। दिनांक 01-09-2006 से 31-05-2009 की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की दिनांक को विशेष भत्ता प्राप्त कर रहे थे, की पेंशन संशोधित करने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या प 12(3)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि:

“Those government servants who retired during the period from 01.09.2006 to 31.05.2009 and who were drawing Special Allowance immediately before the date of their retirement the Special Allowance so drawn shall be treated as Special Pay as an exception for determination of emoluments for the purpose of calculation of pension under Rule 45 of Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996. Only pension shall be revised from the date of issue of this order and no arrear of pension shall be payable. It is made clear that revision of DCRG, Commutation of pension and Encashment of balance of leave shall not be permissible.”

उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत पेंशन संशोधन के त्वरित निस्तारण हेतु यह प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व आहरित विशेष भत्ते/विशेष वेतन की प्रविष्टी सेवापुस्तिका में करने के पश्चात संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक प्रकरण में अभिशंषा पेंशन विभाग को प्रेषित करेंगे। पेंशन विभाग संबंधित विभागों से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर पेंशन संशोधित करेगा।

2480
22/6

D:\Letter And Note Sheet\Babulal Ji\Letter

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प 5 26(परिपत्र)रथा/निकाशि/2012/112

दिनांक: 21/7/2012

प्रतिनिधि

1. श्री गीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र को विभाग में वेबसाईट पर अपलोड करें।

2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजा, जयपुर

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश प्रदान करें कि जिन प्रकरणों में वित्त (नियम) विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के आधार पर पेंशन संशोधित की जानी हो, प्रत्येक मामले में संलग्न प्रपत्र में अभिशंषा शीघ्र भिजवाई जायें।

भवदीय

संलग्न-1

निदेशक

क्रमांक:-प 5() नि.पे.वि./नियम

दिनांक.....

- प्रतिलिपी निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 1- अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण क्षेत्रिय कार्यालय अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
 - 2- समस्त अधिकारीगण कार्यालय हाजा
 - 3- समस्त शाखा प्रभारी कार्यालय हाजा

अतिरिक्त निदेशक

प्रपत्र

राजस्थान सरकार
(कार्यालय

क्रमांक:

दिनांक:

अभिशंषा

राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12(3)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अन्तर्गत निम्न प्रकरण में दिनांक 11-05-2012 से पेंशन संशोधन की अभिशंषा की जाती है:

1. कर्मचारी का नाम
2. अंतिम पद नाम
3. सेवानिवृत्ति तिथि
4. पेंशन/पा. पेंशन भुगतान आदेश संख्या
5. सेवानिवृत्ति तिथि को आहरित विशेष वेतन के रूप में मान्य विशेष भत्ते की दर

रु प्रतिमाह

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12(3)/वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 11-05-2012 के अनुसरण में विशेष भत्ते/विशेष वेतन की प्रविष्टी सेवापुस्तिका में करली गई है जो कि उक्त परिपत्र के अन्तर्गत पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों में सम्मिलित करने योग्य है।

हस्ताक्षर मय सील